भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 129
उत्तर देने की तारीख 07 दिसम्बर, 2022

डाक विभाग का आधुनिकीकरण

129. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :
डॉ. निशिकांत दुबे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक विभाग के कामकाज को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए किसी कार्य योजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और डिजिटलीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या आरंभ स्थल और गंतव्य स्थान के बीच तीव्र संचार सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कोई कार्य योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) डाक और संचार विभाग के कार्य को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित राज्यों में आधुनिकीकरण परियोजना में कुल कितना निवेश किया गया है;

(छ) 'सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम-राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन' के तहत देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण और बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तन किया गया है और उनके द्वारा प्रदान की गई नागरिक केंद्रित सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाना है और बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जाना है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) डाक विभाग के डिजिटाइजेशन और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से विभाग ने 'आईटी आधुनिकीकरण परियोजना' कार्यान्वित की है।

(ख) डाक विभाग के डिजिटलीकरण हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :-

i. सभी 25,099 विभागीय डाकघरों को कंप्यूटरीकृत कर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद 1,29,854 शाखा डाकघरों का भी आधुनिकीकरण किया है। इन शाखा डाकघरों को डाक एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल (सिम) आधारित हस्तचालित प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। आधुनिकीकृत किए गए डाकघरों की संख्या का डाक सर्कल-वार (राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्रों सहित) ब्यौरा **"अनुबंध-1"** के रूप में संलग्न है।

ii. डाक विभाग के सभी प्रचालन कार्यों जैसे बैंकिंग, बीमा, मेल, मानव संसाधन तथा वित्त एवं लेखा के लिए एक केंद्रीय सर्वर आधारित एकीकृत, मॉड्यूलर एवं स्केलेबल समाधान की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इंफ्रास्ट्रक्चर जैसेकि डाटा केंद्र (डीसी), आपदा रिकवरी केंद्र (डीआरसी) तथा वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) की स्थापना भी शामिल है।

iii. देशभर के सभी डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाओं (सीबीएस) और कोर बीमा सेवाओं (डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

iv. ग्राहकों को ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और ई-पासबुक संबंधी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

i. सभी डाकघरों के बीच सूचनाओं का त्वरित पारेषण सुनिश्चित करने के लिए सभी डाकघरों को सिंगल वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) से जोड़ा गया है।

ii. विभाग ने अंतरराष्ट्रीय डाक-वस्तुओं के संबंध में अन्य डाक प्रशासकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डाटा (ईएडी) का आदान-प्रदान करना प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, हैंडलिंग में होने वाले विलंब को कम करना और कस्टम प्रोसेसिंग में तेजी लाना है।

iii. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अंतर्गत बुकिंग से डिलीवरी तक की स्थिति को ऑनलाइन रूप से ट्रैक और ट्रेस करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

(ङ) व्यवसाय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से विभाग द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं की नियमित आधार पर समीक्षा करता है तथा उन्हें और अधिक ग्राहक एवं व्यवसाय केंद्रित बनाने के उद्देश्य से मूल्यवर्द्धन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की अपेक्षाओं और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की जाती है। हाल ही में, विभाग द्वारा थोक (बल्क) मेल/पार्सल प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना की गई है तथा पार्सलों की यंत्रीकृत डिलीवरी और पार्सल व्यवसाय के माध्यम से राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से नोडल डिलीवरी केंद्रों की भी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, कस्टम द्वारा पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट्स के माध्यम से डाक चैनलों के जरिए वाणिज्यिक निर्यात कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है।

विभाग, सरकारी संगठनों के साथ टाई-अप कर विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे आधार नामांकन और अद्यतन (अपडेशन) सुविधा, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, यात्री आरक्षण सुविधा, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र सेवा आदि भी मुहैया करा रहा है।

विगत तीन वित्त वर्षों की राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटे का विवरण **"अनुबंध-2"** के रूप में संलग्न है।

(च) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधुनिकीकरण परियोजना पर किया गया कुल निवेश निम्नानुसार है :-

वित्त वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपए में)**
2019-20	410.69
2020-21	814.09
2021-22	778.06
2022-23 (अक्तूबर, 2022 तक)	549.57

यह परियोजना, समस्त भारत में केंद्रीय रूप से कार्यान्वित की गई है। अत:, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार व्यय लागू नहीं है।

(छ) और (ज) 1,29,854 ग्रामीण शाखा डाकघरों सहित 1,54,953 डाकघर आधुनिकीकृत हैं। ये डाकघर, सरकार से जुड़ी विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। डाकघरों में 13,352 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र तथा 429 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 1,20,196 डाकघर, जन सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहें हैं। डाक सर्कल-वार (राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्रों सहित) ब्यौरा **"अनुबंध-3"** के रूप में संलग्न है। 4493 शाखा डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाना शेष है। इस संबंध में डाक सर्कल-वार (राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्रों सहित) ब्यौरा **"अनुबंध-4"** के रूप में संलग्न है।

अनुबंध-1

"डाक विभाग का आधुनिकीकरण" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

आधुनिकीकृत डाकघरों की डाक सर्कल-वार (राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों सहित) सूची :

क्र. स.	डाक सर्कल का नाम (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहित)	आधुनिकीकृत किए गए विभागीय डाकघरों की संख्या	आधुनिकीकृत किए गए शाखा डाकघरों की संख्या	आधुनिकीकृत किए गए डाकघरों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,565	9,029	10,594
2.	असम	623	3,391	4,014
3.	बिहार	1,075	8,007	9,082
4.	छत्तीसगढ़	353	3,050	3,403
5.	दिल्ली	382	64	446
6.	गुजरात (संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित)	1,208	7,635	8,843
7.	हरियाणा	508	2,187	2,695
8.	हिमाचल प्रदेश	471	2,325	2,796
9.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सहित)	263	1,415	1,678
10.	झारखंड	467	2,682	3,149
11.	कर्नाटक	1,698	7,926	9,624
12.	केरल (संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	1,509	3,555	5,064
13.	मध्य प्रदेश	1,015	7,261	8,276

14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	2,213	10,735	12,948
15.	पूर्वोत्तर (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं नगालैंड सहित)	343	2,527	2,870
16.	ओडिशा	1,212	7,068	8,280
17.	पंजाब (संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ सहित)	753	3,099	3,852
18.	राजस्थान	1,314	8,978	10,292
19.	तमिलनाडु (संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी सहित)	2,597	9,265	11,862
20.	तेलंगाना	826	4,970	5,796
21.	उत्तर प्रदेश	2,540	15,119	17,659
22.	उत्तराखंड	395	2,317	2,712
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित)	1,769	7,249	9,018
	कुल	**25,099**	**1,29,854**	**1,54,953**

अनुबंध-2

"डाक विभाग का आधुनिकीकरण" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के भाग (ड.) में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों की राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटे का विवरण :

विवरण	**राशि (करोड़ रुपए में)**		
वित्त वर्ष	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
निवल राजस्व प्राप्तियां	10860.79	10632.31	13558.2
निवल राजस्व व्यय	29721.43	28327.61	28371.34
राजस्व घाटा	18860.64	17695.3	14813.14

अनुबंध-3

"डाक विभाग का आधुनिकीकरण" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के भाग (छ और ज) में संदर्भित अनुबंध

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) संबंधी सेवाएं, आधार संबंधी सेवाएं तथा जन सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाले डाकघरों की डाक सर्कल-वार (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सहित) सूची :

क्र. स.	**डाक सर्कल का नाम (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहित)**	**पीओपीएसके संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे डाकघरों की संख्या**	**आधार संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे डाकघरों की संख्या**	**सीएससी के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे डाकघरों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	20	578	9,362
2.	असम	15	216	1,981
3.	बिहार	35	582	3,306
4.	छत्तीसगढ़	7	161	2,781
5.	दिल्ली	5	261	58
6.	गुजरात (संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित)	25	878	7,505
7.	हरियाणा	11	289	1,590
8.	हिमाचल प्रदेश	6	254	2,195
9.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सहित)	6	87	412
10.	झारखंड	14	207	1,833
11.	कर्नाटक	23	869	8,048
12.	केरल (संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	8	1,050	4,631
13.	मध्य प्रदेश	18	473	8,012

14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	39	1,293	12,014
15.	पूर्वोत्तर (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं नगालैंड सहित)	5	122	1,135
16.	ओडिशा	20	473	7,843
17.	पंजाब (संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ सहित)	9	503	1,276
18.	राजस्थान	24	600	9,165
19.	तमिलनाडु (संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी सहित)	30	1,436	8,710
20.	तेलंगाना	14	266	3,571
21.	उत्तर प्रदेश	48	1,424	15,392
22.	उत्तराखंड	6	214	1,644
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित)	41	1,116	7,732
	कुल	**429**	**13,352**	**1,20,196**

अनुबंध-4

"डाक विभाग का आधुनिकीकरण" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के भाग (छ और ज) में संदर्भित अनुबंध

ऐसे शाखा डाकघर, जिन्हें अभी आधुनिकीकृत किया जाना शेष है, की डाक सर्कल-वार (राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों सहित) सूची :

क्र. स.	डाक सर्कल का नाम (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहित)	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	असम	0
3.	बिहार	225
4.	छत्तीसगढ़	1,009
5.	दिल्ली	77
6.	गुजरात (संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित)	4
7.	हरियाणा	8
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सहित)	23
10.	झारखंड	859
11.	कर्नाटक	0
12.	केरल (संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	1
13.	मध्य प्रदेश	518
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	742
15.	पूर्वोत्तर (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं नगालैंड सहित)	67
16.	ओडिशा	212
17.	पंजाब (संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ सहित)	10
18.	राजस्थान	0
19.	तमिलनाडु (संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी सहित)	0
20.	तेलंगाना	418
21.	उत्तर प्रदेश	229
22.	उत्तराखंड	13
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित)	64
	कुल	**4,493**

*****